

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-11/2017 2250 /न०वि०एवंआ०वि०। श्रीमती रीता कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय) में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(भरत झा)

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (राज०)-11/2017 2250 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 24/3/17

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर के लिए अपने स्तर से किसी अन्य पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार हेतु अनुशंसा भेजी जाय।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती रीता कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव।